



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



मुख्यालय / Headquarters  
पंचदीप भवन, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली - 110 002  
Panchdweep Bhawan, CIG Marg, New Delhi - 110 002  
Telephone - 011 23232373, E-mail : dir-pnd@esic.nic.in  
Website : www.esic.nic.in

स. एन-15011/1//2021-योववि

दिनांक : 01.11.2021

**परिपत्र**  
**Circular**

**विषय :- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु के तंजावुर एवं कोयमबतूर जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी।**

**Sub: Implementation of ESI Act in the entire area of Thanjavur and Coimbatore districts in the State of Tamilnadu.**


उपरोक्त विषय पर भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii) में दिनांक 29.10.2021 को प्रकाशित अधिसूचना स का.आ. 4526 (अ) दिनांक-29.10.2021 की प्रतिलिपि सूचनार्थ संलग्न है।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 1(3) के अंतर्गत तमिलनाडु के तंजावुर एवं कोयमबतूर जिलों के सम्पूर्ण क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के कार्यान्वयन दिनांक **01.11.2021** से प्रभावी होगा।

Enclosed herewith is a copy of the notification no. S.O. 4526 (E) dated 29.10.2021 published in Gazette of India (Extraordinary), Part II-Section 3 - Sub-section (ii) on 29.10.2021 for information

Implementation of ESI Act, 1948 under Section 1(3) in the entire area of **Thanjavur and Coimbatore districts in the State of Tamilnadu** shall be effective from **01.11.2021**.

संलग्न - यथोपरि

  
01/11/21  
(प्रियरंजन सिन्हा)  
उप निदेशक (योजना व विकास)

सेवा में,

1. क्षेत्रीय निदेशक, तमिलनाडू को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधन, मुख्यालय से अनुरोध है कि इस परिपत्र को वेबसाइट पर अपलोड करें।